

कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.स्था.4/375/2019/ 30481

भोपाल, दिनांक 22/11/19

प्रति,

- 1/- समस्त संभागीय उपायुक्त,  
अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश ।
- 2/- समस्त सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश ।
- 3/- समस्त जिला संयोजक,  
आदिम जाति कल्याण,  
मध्यप्रदेश ।

विषय :- नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतन के संबंध में ।

सन्दर्भ :- म0प्र0शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ  
04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक 09/10/2019

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । उक्त ज्ञाप की जिसकी कंडिका 2.1  
में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती नियम 2018 के नियम 4 (1) के अंतर्गत सेवा में नियुक्त  
व्यक्ति की सेवायें दिनांक 01.07.2018 से प्रारंभ होगी । तदनुसार इस सेवा में नियुक्ति पर  
दिनांक 01.07.2018 की स्थिति में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के  
अंतर्गत वेतन निर्धारण किया जायेगा ।

उपरोक्त के अनुकम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति (शिक्षण संवर्ग) सेवा शर्ते  
एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला  
पंचायत से छटवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक सेवकों को सातवें  
वेतनमान उनसे संलग्न प्रारूप “अ” बचन पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 01.11.2019 से (नवंबर  
paid in दिसम्बर 2019) प्रदान किया जाए । सॉतवे वेतनमान में नियमानुसार वेतन निर्धारण  
अनुमोदन के उपरांत नियमानुसार एरियर प्रदाय के संबंध में पृथक से समुचित आदेश जारी  
किया जाएगा ।

सूलगत-बचन पत्र प्राप्त

*Dipali Tark*  
आयुक्त,  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश

.....2

क्रमांक /शिक्षा.स्थापना-4/ 375/ 2019/ 30482

भोपाल, दिनांक 22/11/19

प्रतिलिपि :-

- 1/- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
- 2/- निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 3/- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 4/- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 5/- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
- 6/- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
- 7/- समस्त आयुक्त, नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेश ।
- 8/- समस्त संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ।
- 9/- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
- 10/- समस्त प्राचार्य हाईस्कूल/ उमावि मध्यप्रदेश ।
- 11/- समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
- 12/- समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद, मध्यप्रदेश ।
- 13/- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ।



आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश.

## वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में विसंगति/त्रुटि के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई है, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूँगा/करूँगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ तो इस देय राशि की वापसी के लिए मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूली कर ली जाए।

साक्षी

हस्ताक्षर शासकीय कर्मचारी

हस्ताक्षर

पदनाम

पता

स्थान

दिनांक

दिनांक